


२५/१२/२५

पत्रावली पेश हुरी वकील पत्रकारान ३९०।
 वकील उभयपक्ष की प्रार्थना २१२ RTA पर
 बहस सुनी गरी। प्रस्ताव बहस व पत्रावली
 के अवलोकनानुसार प्रार्थना पत्र अस्थायी-
 निर्णयवाला अनर्गल द्वारा २१२ मूल वाद के
 अनिम निस्तारण तक स्वीकार किया जाता
 है तथा न्यायालय द्वारा जारी आदेशिका
 दिनांक १७.०६.२०२१ को मूल वाद के अनिम
 निस्तारण तक प्रुष्य किया जाता है। पत्रावली
 फौसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम
 हो आदेश खुले न्यायालय में सुनाना

गमा। 
 उपरतण्ड अधिकारी
 साँपर लेक

